(सृजनात्मकता एवं मौलिकता के लिये समर्पित
समाजशास्त्रीय विचारधारा की एक अनिवार्य पत्रिका)

संकल्प

(अंक-दो)

सत्र
1986-87

समाजशास्त्र - विभाग
शासकीय टी० आर० एस० महाविद्यालय रीवा
मध्यप्रदेश

"विचार सत् और असत् के यथार्थ स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है और विवेक सत् से असत् को और असत् से सत् को अलग कर देता है।"

—हजारी प्रसाद द्विवेदी

- प्रो० आई० एस० चौहान
- डॉ० डी० एस० बघेल
- डॉ० जे० डी० वर्मा
- डॉ० (श्रीमती) किरण बघेल
- डॉ० हुकुमचन्द्र जैन
- प्रो० जे० के० शर्मा
- प्रो० सुचित्रा विश्वकर्मा
- प्रो० के० के० सिंह दुबे
- प्रो० सीमा जैन
- श्रीमती गीता सक्सेना
- डॉ० डी० एस० बघेल

● समय की शिला पर

श्रमजीवी महिलाएँ और सुरक्षात्मक सुविधाएँ

● प्रो० सुचित्रा विश्वकर्मा

[सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कोई नया तथ्य नहीं है। यह बात और है कि उनके उत्पादन का क्षेत्र पहले घरेलू कार्यों और गृह उद्योगों तक सीमित रहा, किन्तु आर्थिक-तकनीकी, राजनीतिक-कानूनी और सांस्कृतिक-वैचारिक जैसी आधुनिक शक्तियों ने उनके विकास के नये आयाम खोल दिये हैं। परिणामतः सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी समान रूप से दृष्टिगत होती है। इन श्रमजीवी महिलाओं की सुरक्षा और नियोक्ताओं के शोषण से बचाने हेतु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किये गये हैं, जो संविधानों और कानूनों द्वारा देय हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी का अनुपात पुरुषों की तुलना में कम ही है। उनके क्रियान्वयन की असफलता के पहलुओं के विश्लेषण की जानकारी प्रस्तुत लेख में की गई है।] —सम्पादक

औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात से ही सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रान्तिकारी परिवर्तनों का दौर-सा चल निकला है जिनमें से उत्पादन की क्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता भी एक उभरता हुआ तथ्य है। परम्परागत प्रतिमानों व स्वभावगत कमनीयता से परे महिलाएँ भी कार्य के क्षेत्र में प्रवेश करने लगी हैं, यह बात नहीं कि केवल क्षेत्र विशेष तक ही इनका प्रतिनिधित्व सीमित हो।

पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ रूढ़ियों, प्रथाओं व सामाजिक मान्यताओं के द्वारा जन्म से ही कमज़ोर मानी गईं। स्वभावगत अनुश्लता के कारण गृह कार्यों का संपादन स्त्री और बलिष्ठता तथा पुरुषत्व के प्रतीक पुरुष बाह्य कार्य में संलग्न कर दिये गये।

किन्तु आधुनिक आर्थिक-तकनीकी (मुद्रा का प्रचार, परिवहन व संचार साधन) राजनीतिक-कानूनी (प्रजातंत्रीकरण, नवीन सामाजिक विधान) और सांस्कृतिक-वैचारिक (पश्चिमीकरण, नगरीकरण, शिक्षा) शक्तियों ने न केवल समाज के परम्परागत ढांचे को प्रभावित किया, बल्कि स्त्री-पुरुष के कार्य के क्षेत्रों को प्रभावित और परिवर्तित किया। महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अवसरों की समानता के लिए जागरूकता परिलक्षित होने लगी है।

नये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि 318.2 मिलियन स्त्रियों में से 46 मिलियन स्त्रियाँ आर्थिक कार्यों के संपादन में लगी हुई हैं और प्रतिवर्ष इनकी संख्या में वृद्धि ही हो रही है।

जनगणना प्रतिवेदनों से यह बात स्पष्ट है—

संविधान और कानून

विकासशील राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में भारत भी पीछे नहीं। यहाँ श्रमजीवी महिलाओं के भावी निर्माण एवं विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की गई है ताकि बिना किसी लिंग, प्रजाति, और जन्म भेद के अवसरों की समानता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 16, 39 और 42 भी महिलाओं को रोजगार की समानता और मातृत्व लाभ आदि की दिशा में प्रयास माने जा सकते हैं।

कानूनों की भूमिका भी इस दिशा में उल्लेखनीय है। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 द्वारा कारखाने, बागान और खान में कार्य करने वाली महिलाओं को शिशुगृह, आरामगृह और अन्य सुविधाओं के रूप में सुरक्षा प्रदान की गई है। कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 में महिलाओं को मातृत्व लाभ और अन्य चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की गईं। यही नहीं, 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के द्वारा महिलाओं को निर्धारित अवधि के लिए प्रसव के पूर्व एवं बाद में सवैतनिक अवकाश तथा अन्य सुविधाएँ दी गईं। समान वेतन अधिनियम, 1976 के द्वारा पुरुषों के समान, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' देने का प्रावधान रखा गया है।

इन सभी सुरक्षात्मक सुविधाओं के देने और लागू करने का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं, जिनका जीवन श्रम पर आधारित है, के कार्य के घन्टे तथा कार्य की दशाएँ नियमित हों ताकि महिला श्रम उत्पादन की वृद्धि के लिए लाभदायक हो, किन्तु उचित क्रियान्वयन के अभाव में यह सब मात्र कथनी तक सीमित रह गया हैं। अतः यह विचार करना आवश्यक है कि इनके क्रियान्वयन की असफलता के क्या कारण हैं ? कौन जिम्मेदार है ? संविधान, कानून, अधिकारी-तन्त्र अथवा स्वयं महिला-वर्ग ?

क्रियान्वयन त्रुटियाँ

सर्वप्रथम अधिनियमों के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो कुछ नये तथ्य प्रकाश में आते हैं। रोजगार बाजार सूचना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों और सेवाओं में कार्यरत श्रमजीवी महिलाओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की गई थी। साथ ही जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 330,786,808 महिलाओं में से 4,49,73,167 महिलाएँ अर्थ उपार्जन के कार्य में लगी हुई हैं। अर्थात् स्त्रियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है, जबकि ये सारे अधिनियम केवल संगठित क्षेत्रों यथा उद्योगों, बागानों और खानों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होते हैं। दृष्टव्य है कि इनकी संख्या कारखाने में 9 प्रतिशत, बागान में 45 प्रतिशत और खानों में 10 प्रतिशत है। अतः स्त्रियों का एक तिहाई हिस्सा कारखाना अधिनियम 1948 के लाभों से वंचित रह जाता है।

अब यदि संगठित क्षेत्रों पर, जहाँ अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ लागू होती हैं, विचार किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि बहुत से उद्योगों, खानों और बागानों के प्रबन्धक महिलाओं के लिए आरामगृह, शिशुगृह और मातृत्व लाभ जैसी सुविधाओं को आवश्यक नहीं समझते । नियोक्ता अक्सर महिलाओं की नियुक्ति अस्थायी रूप से कर उन्हें बीच-बीच में भंग कर देते हैं या समय पूर्व उनकी छटनी कर देते हैं ताकि नियोजित महिलाएँ इन सुविधाओं की पात्रता ही न रखें ।

असंगठित क्षेत्रों में एक बात और देखी गई है वह यह कि समान वेतन अधिनियम 1976 द्वारा प्रदत्त समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ वहाँ की महिला कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो पाता । कार्य अधिक और वेतन कम, साथ ही छटनी किये जाने के भय से मुक्ति पाने का उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता, तो फिर मातृत्व लाभ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहींउठता । इस प्रकार सेवायोजकों और मालिकों द्वारा विस्तृत पैमाने पर उनका जो शोषण किया जाता है, उसकी वस्तुस्थिति कभी प्रकाश में नहीं आने पाती । ऐसे दोषपूर्ण संगठनों और क्षेत्रों में, जहाँ सम्बन्धित कानूनों की अवहेलना कर दी जाती है, कार्यरत महिलाओं की अनभिज्ञता ही वास्तव में उनके शोषण का प्रमुख कारण बन जाती है ।

इस तथ्य के होते हुए भी कि स्त्रियों की साक्षरता 1971 में 18.69 से बढ़कर 1981 में 24.78 प्रतिशत हो गई है तथा देश भर में 123 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र केवल स्त्रियों के लिए ही खोले गये हैं । प्रश्न यह उठता है कि महिलाओं के शोषण से उद्धार के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिये ? आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्त्रियों के लिए 'स्व-रोजगार' हेतु सहायता का प्रावधान किये जाने की योजना है । लेकिन इन सुविधाओं की, चाहे वह कानूनी हों या संवैधानिक सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इनमें सुधार किया जाय, उनका क्रियन्वयन सुनिश्चित किया जाय ताकि वे सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में समान रूप से लागू किये जा सकें । मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रमजीवी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की दिशा में उन्हें स्वयं पहल करनी होगी । इन सुविधाओं के प्रति अनभिज्ञता, अज्ञानता ही उनके विकास के मार्ग में बाधक हैं । इनके प्रति जागरूकता, चेतना और संगठन ही उन्हें सेवायोजकों द्वारा हतोत्साहित करने और बलि का बकरा बनाने की नीतियों से बचा सकेगी । महिला श्रम उत्पादन की दिशा में सहायक हो, इसके लिए केवल श्रमजीवी महिलाओं को ही नहीं, बल्कि श्रम कल्याण संस्थाओं, समाज-सेवी संस्थाओं, श्रम विभाग और श्रम संगठनों को भी आगे आना होगा । विशेष रूप से महिला संगठनों की सक्रियता लाभदायक होगी ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के पिछले नौ दशकों में स्त्रियों के संगठनों ने विभिन्न संचार माध्यमों से अपने उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठायी है, जिससे एक नये सिरे से सोचने तथा कार्य करने का दौर आरम्भ अवश्य हुआ, किन्तु उनमें एक तीव्रता, गम्भीरता का अभाव रहा । इसका कारण यही है कि जितनी भी योजनाएँ बनती हैं,

प्रणालियाँ निर्मित होती हैं, वे उन स्त्रियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करतीं जो इस शोषण से सबसे अधिक प्रभावित रहीं। स्पष्ट है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास होने चाहिये क्योंकि समस्याओं के क्षेत्रों में भी उतनी ही तेजी से विस्तार हो रहा है।

कार्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई स्त्रियों की भागीदारी के सही और उचित अनुपात के लिए भारत को अन्य विकसित राष्ट्रों के समकक्ष प्रयास करने होंगे। साथ ही कार्यरत श्रमिकों और सेवायोजकों की भूमिका भी समानता और सहयोग की होनी चाहिए, तभी महिला श्रम उत्पादकता में वृद्धि तथा राष्ट्र के विकास के लिए सार्थक हो सकेगा।

● **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र**
शासकीय महाविद्यालय काँकेर, बस्तर
(म० प्र०)

प्रणालियाँ निर्मित होती हैं, वे उन स्त्रियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करतीं जो इस शोषण से सबसे अधिक प्रभावित रहीं। स्पष्ट है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास होने चाहिये क्योंकि समस्याओं के क्षेत्रों में भी उतनी ही तेजी से विस्तार हो रहा है।

कार्य के क्षेत्र में बढ़ती हुई स्त्रियों की भागीदारी के सही और उचित अनुपात के लिए भारत को अन्य विकसित राष्ट्रों के समकक्ष प्रयास करने होंगे। साथ ही कार्यरत श्रमिकों और सेवायोजकों की भूमिका भी समानता और सहयोग की होनी चाहिए, तभी महिला श्रम उत्पादकता में वृद्धि तथा राष्ट्र के विकास के लिए सार्थक हो सकेगा।

● **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र**
शासकीय महाविद्यालय काँकेर, बस्तर
(म० प्र०)